भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2358
जिसका उत्तर गुरुवार, 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है

भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थिति

2358 श्री अखिलेश प्रसाद सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना की प्रक्रिया में है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं के पैनल के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ग) क्या सरकार द्वारा संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए कोई अन्य कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : मध्यकता अधिनियम, 2023 विवाद के पक्षकारों द्वारा अपनाई जाने वाली मध्यकता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यकता के लिए कानूनी रूपरेखा अधिकथित करता है, मध्यकता विशेष रूप से संस्थागत मध्यकता के लिए कानूनी रूपरेखा अधिकथित करता है जिसमें देश में मजबूत और प्रभावकारी मध्यकता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए विभिन्न पणधारियों की भी पहचान की गई है । मध्यकता अधिनियम, 2023 की धारा 1(3) के अधीन उपबंधित किए गए अनुसार, अधिनियम के कुछ उपबंधों को तारीख 09.10.2023 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है । साथ ही, मध्यकता अधिनियम, 2023 की धारा 31 के अधीन भारतीय मध्यकता परिषद की स्थापना के लिए अपेक्षित कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ, देश में मध्यकता के प्रचालन के संस्थागतकरण की रूपरेखा से निपटना है और मध्यकता अधिनियम, 2023 की धारा 40 की उपधारा (2) के निबंधनों में, मध्यकता सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए रीति अधिकथित करना है । मध्यकता अधिनियम, 2023 से मध्यकता पर स्वतंत्र विधि उपबंधित करने और न्यायालय के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण समझौते की संस्कृति के विकास को सक्षम करने और परिणाम को पक्षकार द्वारा संचालित करने की दिशा में निर्णायक विधायी हस्तक्षेप होना प्रत्याशित है। सरकार मध्यकता पारिस्थितिक तंत्र को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से मध्यकता अधिनियम, 2023 के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जागरूकता बढ़ाने और तैयारी करने के लिए विभिन्न पणधारियों जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भी है के साथ निरंतर संपर्क में है ।

****